Neutral Citation
2021:CGHC:8715

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्र.– 1670/2021

मधु पांडे पति स्वर्गीय प्रकाश कुमार पांडे, उम्र–62 वर्ष, निवासी फ्लैट क्रमांक–83, कोसाबाडी मुख्य डाक घर के पीछे, कोरबा तहसील कोरबा जिला कोरबा

... ... .याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ राज्य द्वारा सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, महानदी भवन अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर छ.ग
2. कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण समिति, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा, जिला कोरबा

... ...उत्तरवादीगण

आवेदक के लिए श्री रोहित शर्मा, अधिवक्ता ।
राज्य के लिए श्री सिद्धार्थ दूबे, शासकीय अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी
बोर्ड पर आदेश

08.04.2021

1. इस रिट याचिका में दिनांक 19.01.2021 के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें याचिकाकर्ता को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, जिसे किशोर न्याय बालको की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत गठन किया गया था ।

2. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को अधिनियम 2015 की धारा 27(1) और (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष के अवधि के लिए दिनांक 11.04.2017 के आदेश अनुलग्नक पी–2 द्वारा नियुक्त किया गया था । तद्पश्चात उन्हें अनुलग्नक पी–3 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 11 एवं 12 नवंबर 2018 को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार में भाग लिया था। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस के आरोप का खंडन किया गया था और यहां तक कि जिस फोटोग्राफ पर प्रतिवादी ने निर्भरता जताई थी, उसके विषय में यह तर्क दिया गया है कि मूल फोटोग्राफ उन्हें कभी दिया ही नहीं गया और जो चित्र उन्हें

दिखाया गया वह स्पष्ट नहीं था । उन्होंने तर्क दिया कि अस्पष्ट तस्वीरों के आधार पर याचिकाकर्ता पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को कायम नहीं रखा जा सकता। हालांकि तत्पश्चात सुनवाई का कोई और अवसर दिये बिना याचिकाकर्ता को दिनांक 19.01.2021 के आपेक्षित आदेश द्वारा हटा दिया गया और याचिकाकर्ता का कार्यकाल 11.04.2021 को समाप्त होने जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवाओं से यह प्रतीत होता है कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूलय सेवाएं प्रदान की है और अस्पष्ट आरोपों पर सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना उन्हें समान रूप से हटाए जाने लांछन लगेगा जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है,क्योंकि यह समाज के कल्याण में आगे कोई भागीदारी कार्यवाही करने के लिए बाधा उत्पन्न् कर सकती है । तथापि आपेक्षित आदेश अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दूसरी ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्को का पुरजोर विरोध किया है और कहा कि याचिकाकर्ता के सुनवाई के बाद और कारण बताओ नोटिस के जवाब पर उचित विचार करने के बाद उसे हटा दिया गया, इसलिए आदेश उचित है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

4. बाल कल्याण समिति के किसी सदस्य को हटाए जाना, इस अधिनियम 2015 की धारा 27 (7) में आपेक्षित है जो इस प्रकार हैः–

धारा 27 बाल कल्याण समिति–(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक था उससे अधिक बाल कल्याण समिति का गठन करेगी जिससे की वे इस अधिनियम के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठान, प्रशिक्षण और संवेदनशील की, अधिसूचना की तारीख से दो मास के भीतर व्यवस्था की जाए ।

(2) समिति एक अध्यक्ष और चार ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी और दूसरा बालकों से

संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा ।

(3) जिला बालक संरक्षण एकक एक सचिव और उतने अन्य कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगा, जितने समिति को उसके प्रभावी कार्यकरण हेतु सचिवालयिक सहायता के लिए आपेक्षित है ।

(4) किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास वाले मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान या विधि या समाजिक कार्य या मनोरोग विज्ञान या विधि या समाजिक कार्य या समाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालको के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री न हो और जब तक ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से अंतर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या विधि या समाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ या शिक्षा या मानव विकास अथवा दिव्यांगजन बालको के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक उसके पास ऐसी अर्हताए न हो, जो विहित की जाएं ।

(6) किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति जांच किये जाने के पश्चात समाप्त कर दी जाएगी यदि–

(i)	वह इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो ।
(ii)	वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसा दोषसिद्धी को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान की गई है ।
(iii)	वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में तीन चौथाई बैठको में उपस्थित रहने में असफल रहता है ।
(iv)	वह सदस्य के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उपधारा(4) के अंतर्गत नहीं हो जाता है ।

(8)xxxxxxxxx

(9)xxxxxxxxx

5. याचिकाकर्ता को जो कारण बताओ नोटिस दिया गया था उसका तात्पर्य है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे कि उसने 11 एवं 12 नवंबर 2018 को भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में भाग लिया था, कुछ तस्वीरे भी उन्हें दी गई थी । ऐसे कारण बताओ नोटिस के जवाब से पता चलता है कि सभी आरोपो का खंडन किया गया था और कहा गया था कि कथित आरोप झूठे और तुच्छ है । यहां तक कि जो तस्वीरें दी गई थी, उन्हे भी इसी आधार पर खंडन किया गया था, उनकी मांग थी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपो को हटा दिया जाए । तत्पश्चात यह प्रतीत होता है कि आदेश पारित किये गये है जिससे याचिकाकर्ता को हटा दिया गया । अधिनियम 2015 की धारा 27 उपधारा (7) का तात्पर्य है कि उन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब वे जांच के बाद इस अधिनियम के तहत निहित शक्तियों के दुरूपयोग का दोषी पाया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. कारण बताओ नोटिस को पढने पर जो कि प्राधिकरण के समाप्ति के लिए विवाधक का केंद्र बिंदू है से तात्पर्य है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि वे एक उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में भाग लिया था । धारा 27 उपधारा (7) केवल अनुसंधान करती है कि उन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब जांच मे वे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत निहित के बावजूद कि याचिकाकर्ता ने इंकार किया है कि उसने किसी भी चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया और भले ही ऐसे आरोपो को अधिनियम की धारा 27 उपधारा (7) के संदर्भ में पढ़ा जाए यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि कतिपय किसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करना अधिनियम 2015 के तहत शक्ति के दुरूपयोग के दोषी के दायरे में होगा इसके अन्यथा भी यह दर्शित होता है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इन परिस्थितियों में अनुलग्नक प्र.पी–8 दिनांक 19.01.2021 के तहत बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के पद से याचिकाकर्ता के अधिकार को हटाने को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे अपास्त किया जाता है ।

7. तदानुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है ।

सही/–
गौतम भादुड़ी
न्यायमूर्ति

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur